उत्तर मध्य रेलवे

कार्यालय
प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब.
उ.म.रे./प्रयागराज

पत्रांकः रे.सु.ब./उ.म.रे./यात्री सुरक्षा/अच्छे कार्य 15–सी/प्रयागराज/2022
दिनांक 04.03.2022

महानिरीक्षक/रे0सु0ब0/मुख्यालय
रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।

विषय–Sharing the information on police website about good work done by RPF personnel.
संदर्भ–रेलवे बोर्ड पत्रांक 2020/Sec(Int.)/51/6/3 dated 14/15.09.2020

****

विषयांकित के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र के आलोक में उत्तर मध्य रेलवे/रे0सु0ब0 प्रयागराज की चयनित अच्छे कार्य की रिपोर्ट निम्नवत् है।

क0सं0	मण्डल	विवरण	फोटो
1.	आगरा मण्डल	दिनांक 01.02.2022 को आगरा कैन्ट स्टेशन से चलती ट्रेनों में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत निरीक्षक, आगरा छावनी के नेतृत्व में गठित टीम व GRP/AGC द्वारा शातिर किश्म के 03 अभियुक्तों को कुल 04 चोरी के मोबाईल फोन व सोने, चांदी के जेवरात सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का नाम व पता **1.**दिलीप कुमार पुत्र मानिक चन्द निवासी एमनपुरा थाना बाह जिला आगरा हाल निवासी हाईटेंशन खम्बे के पास परसौती नगला थाना सदर बाजार आगरा उम्र 32 वर्ष **2.**राजू उर्फ राजेश आर्य पुत्र अशोक आर्य निवासी एमनपुरा थाना बाह जिला आगरा उम्र 35 वर्ष **3.**संजय पुत्र विजय बहादुर निवासी मोहल्ला खेरा कस्बा व थाना विधूना जनपद औरैया उम्र 45 वर्ष अनावरित अभियोग– 1. मु0अ0स0 148/21 धारा 379,411 भा.द.वि. थाना जीआरपी आगरा कैन्ट 2 मु0अ0स0 175/21 धारा 379,411 भा.द.वि. थाना जीआरपी आगरा कैन्ट 3. मु0अ0स0 223/21 धारा 379, 411 भा.द.वि. थाना जीआरपी आगरा कैन्ट 4. मु0अ0स0 237/21 धारा 379,411 भा.द.वि. थाना जीआरपी आगरा कैन्ट 5. मु0अ0स0 02/22 धारा 379,411 भा.द.वि. थाना जीआरपी आगरा कैन्ट बरामदगी का विवरण– 04 अदद मोबाईल फोन, दो अदद चेन, दो अदद अंगूठी, एक मंगलसूत्र (सभी सोने की) व एक जोड़ी पायल चांदी की कीमत करीब 3,00,000/–रू0। गिरफ्तार करने वाली टीम 1.उ0नि0 सुरेश चौधरी रे.सु.ब.पोस्ट आगरा कैन्ट। 2.कां0 ओमवीर सिंह रे.सु.ब.पोस्ट आगरा कैन्ट	

2.	झांसी मण्डल	दिनाँक 15.02.2022 को रेल सुरक्षा बल तथा स्थानीय पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर ग्वालियर रेलवे स्टेशन गाटर के पुल के पास 01 अभियुक्त को मय नाजायज 21 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ने बताया कि वह विशाखापट्टनम से गांजा लेकर गाड़ी क्र. 12803 स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस द्वारा मथुरा जा रहा था। **रे.सु.ब टीम** 1. उप निरीक्षक रविन्द्र सिंह राजावत, CPD टीम 2. प्र.आ. शिवनंदन शर्मा DW/GWL 3. प्र.आ. अनिल कुमार सिंह GWL/Post 4. प्र.आ. दीपेंद्र सिंह भदौरिया CPDT 5. प्र.आ. सुनील कुमार CPDT 6. आ. राजकुमार तोमर CPDT 7. आ. शकील खान CPDT **अभियुक्त का विवरण** दिनेश कुमार मीणा पुत्र पप्पू लाल मीणा उम्र–21 वर्ष निवासी–अनवर नगर, मीना मुहल्ला, पायगा जिला टोंक, राजस्थान **जब्त सामग्री** 21 किलो गांजा कुल कीमत लगभग रु 2,10,000/– (दो लाख दस हजार)	
3.	आगरा मण्डल	दिनांक 16.02.2022 को रे0सु0ब0/आगरा छावनी के निरीक्षक सुरेंद्र सिंह चौधरी उपनिरीक्षक सुरेश चौधरी, कांस्टेबल प्रमोद कुमार शर्मा, कांस्टेबल राजू चौधरी, महिला कांस्टेबल रमादेवी एवं महिला कांस्टेबल गीता कश्यप ने आपराधिक रोकथाम व चेकिंग के दौरान आगरा छावनी स्टेशन प्लेटफार्म नं.01 के एस्केलेटर के पास से 05 अदद ट्रॉली बैग के साथ 04 गांजा तस्करों (01 पुरुष और 03 महिला) को पकड़ा। पूछताछ में अभियुक्त क्रमशः **01.**रुकसार पत्नी श्री मौ. गुफरान, उम्र. 32 वर्ष, निवासी म.नं. 0476 गली नं. 12, पार्ट नं. 05 मुख्य सर्कुलर मार्ग, सोनिया विहार, थाना करावलनगर, जिला उत्तरपूर्वी दिल्ली हाल पता शास्त्रीपुरम, ए–ब्लॉक, थाना सिकन्दरा, जिला आगरा(उ.प्र.) के कब्जे से 14.00 किग्रा0 नशीला पदार्थ गांजा **02.**फरीनजहरा पुत्री श्री आबिर हुसैन, उम्र 21 वर्ष, निवासी उक्त से 14.00 किग्रा0 गांजा **03.** गजारा पत्नी श्री सद्दामहुसैन, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम मचलाई, थाना मूशाजार, जिला–बदायुं (उ.प्र.) से 10.00 किग्रा0 गांजा **04.** सपाम हुसैन पुत्र श्री जहीर हुसैन, उम्र 28 वर्ष, निवासी उक्त से 24 किग्रा0 गांजा कुल 62.00 किग्रा0 अवैध नशीला पदार्थ गांजा के साथ NDPS Act section 42 के तहत गिरफ्तार कर राजकीय रेल पुलिस को एनडीपीएस एक्ट की धारा 53 के तहत अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया। पंजीकृत अभियोगों का विवरणः– 1.मु.अ.सं.24/22, धारा 08/20 (NDPS Act) 2.मु.अ.सं. 25/22, धारा 08/20 (NDPS Act) 3.मु.अ.सं. 26/22, धारा 08/20 (NDPS Act) 4.मु.अ.सं. 27/22, धारा 08/20 (NDPS Act) के अंतर्गत अभियोग दर्ज कराए गए। बरामद गांजा की अनुमानित कीमत 6,20,000/–रुपये।	
4.	झांसी मण्डल	दिनांक 20.02.2022 को रे0सु0ब0 पोस्ट/बांदा पर यात्री सुरक्षा व सील चेकिंग ड्यूटी में तैनात आरक्षक अबरार अहमद द्वारा गाडी सं0 15206 डाउन चित्रकूट एक्सप्रेस में चलती गाडी में चढ़ते समय एक महिला यात्री का पैर फिसलकर ट्रेन के नीचे जाने लगा, जिसे अपनी जान की परवाह न करते हुए जान बचाई गई तथा महिला यात्री को सुरक्षित हालत में ट्रेन नंबर 15206 चित्रकूट एक्सप्रेस में बैठाया गया। उक्त महिला के गैर हिंदीवासी क्षेत्र की होने के कारण व समय की कमी के कारण डिटेल नहीं ली जा सकी।	

5.	प्रयागराज मण्डल	दिनांक 18.02.2022 को दादरी पोस्ट क्षेत्राधिकार की 35 संदिग्ध यूजर आईडी जाँच के लिये प्राप्त हुई थी। ट्रैकिंग व जाँच में पाया गया कि करीब 07 वर्ष पहले 2015 में दुकान का फोटो अपलोड किया गया था। मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन एवं डिजिटल इंटरनेट के माध्यम से दुकान का लोकेशन प्राप्त किया गया तो ज्ञात हुआ कि पवन फूटवियर दुकान का नाम आईडी में दिये गए मोबाइल नं. से लिंक है, जो ब्रिजवासी मिष्ठान भंडार सूरजपुर ग्रेटर नोएडा के बगल में गली में स्थित है। उक्त दुकान से एजेंट आईडी की आड़ में पर्सनल यूजर आईडी से टिकट बनाना तथा खरीद फरोख्त करने की पुष्टि हुई। दिनांक 21.02.2022 को पोस्ट कमांडर एस.के.वर्मा के नेतृत्व व दिशा–निर्देशन में स्पेशल टीम का गठन कर अभियुक्त ध्रुव कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसने अपने साथ काम करने वाले अभियुक्त राकेश कुमार के साथ टिकट बेचना बताया। कंप्यूटर को चेक करने पर 04 एजेंट आईडी व 33 पर्सनल यूजर आईडी बरामद हुयी। जिसमे मौके पर भविष्य यात्रा की 03 टिकिट जिनकी कुल कीमत–12,434. 25/–रूपये एवं करीब 07 वर्ष में लगभग 70 लाख रूपये की टिकट विभिन्न आईडियों पर अभियुक्त द्वारा बेचना बताया। अभियुक्त का नाम/पता–ध्रुव पुत्र श्री राजीव लोचन सिंह, उम्र–32 वर्ष, जाति–भूमिहार, पता–मकान नं. 25 जिंदल कॉलोनी बरही मंदिर, थाना–सूरजपुर ग्रेटर नोएडा जिला–गौतमबुद्ध नगर उ.प्र., स्थाई पता–माफी, थाना–वारिसलीगंज नवादा, जिला–नवादा, बिहार। वांछित अभियुक्त–राकेश कुमार पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह उम्र–34 वर्ष, जाति–भूमिहार, पता–मकान नं. 25 जिंदल कॉलोनी बरही मंदिर, थाना–सूरजपुर ग्रेटर नोएडा जिला–गौतमबुद्ध नगर उ.प्र., स्थाई पता–बडबीघा, थाना–बडबीघा, जिला–शेखपुरा, बिहार। अभियुक्त की जामा तलाशी में 19,100/– रूपये नगद तथा ई–टिकटों को बनाने में उपयुक्त एक कंप्यूटर (HP), एक प्रिंटर (EPSON), 01 CPU ZEBRONICS की बोर्ड (TV), माउस (DELL), ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल होने वाली फिनो पेमेंट स्वाइप मशीन, पेटीएम स्वाइप मशीन, स्पे इंडिया स्वाइप मशीन व 02 कीपेड इस्तेमाली मोबाइल व 03 चेकबुक मिला, जिसे जब्त किया गया। अभियुक्त ध्रुव कुमार आदि के विरुद्ध रेसुब पोस्ट दादरी पर मु.अ.सं–31/2022 अंतर्गत धारा–143 रेल अधिनियम पंजीकृत किया गया।	

रिपोर्ट प्रेषित है।

(रवीन्द्र वर्मा)
प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब.
उ.म.रे./प्रयागराज

प्रतिलिपि–सीपीआरओ/उत्तर मध्य रेलवे/प्रयागराज को सूचनार्थ प्रेषित है।

Digitally Signed by
Ravindra Verma
Date: 08-03-2022 16:58:07
Reason: Approved